scheme for housing slum dwellers in the capital; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Works, Housing and Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). The proposal of the Delhi Municipal Corporation for the allotment of two housing units to the slum dwellers having large families has not been accepted, because the number of slum dwellers in need of housing assistance is far in excess of the houses constructed for them and this gap is likely to continue for some time to come in view of the limited financial resources and paucity of suitable sites. Most of the slum dwellers are also unable to pay even the subsidised rent of single units. Allotment of two units to them will lead to sub-letting or heavier arrears of rent.

स्वास्थ्य मंत्री की रूस यात्रा

२०२८. **श्रीमती चावदा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिनों उन्हों ने सोवियत संघ की यात्रा की थी; और

(ख) उस यात्रा से उन्हों ने देश की चिकित्सा और नर्सिंग के लिये कौन कौन सी उपयोगी बातें हासिल कीं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) बतलाया गया है कि सोवियत सरकार अपने कुल बजट का ५ प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों पर खर्च करती है और अजरबेजान की राज्य सरकार ५५ प्रतिशत स्वास्थ्य शिक्षा और समाज कल्याण पर खर्च करती है । विस्तृत स्वास्थ्य परिचर्या, जिस में प्रवर्तनीय, निरोधी, उपचारी और पुनर्नवीकर सेवायें सम्मिलित हैं, नोट की गई । प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य की ओर जो ध्यान दिया जाता है वह प्रशंसनीय है । निरीक्षणालय और महामारी विज्ञान तथा सफाई सम्बन्धी एककों के कार्य द्वारा संचारी रोगों के नियंत्रण में सफलता प्राप्त की गई । इस प्रकार सारी जनता को सभी अवस्थाओं में चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध की जाती है और उनके रोगों पर नियंत्रण कर लिया जाता है । औद्योगिक स्थापनों में भी प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट, पोली क्लीनिक अस्पताल और विशेषज्ञ सेवा केन्द्र है । कामगर जनता की जो देख रेख की जाती है, उस से मालूम होता है कि सोवियत सरकार उसे शारीरिक योग्य बना कर उस से कार्यकुशलता और उत्पादन के बहुत बड़े प्रतिदान की आशा रखती है ।

नर्सिंग परिचर्या का स्तर अन्य देशों की भांति ही है । जन संख्या का लगभग २ प्रतिशत भाग चिकित्सा एवं परा चिकित्सा कर्मचारियों तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का है । स्वास्थ्य शिक्षा सोवियत प्रणाली की बहुत महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है और प्रत्येक डाक्टर और परा चिकित्सा कर्मचारी अन्य कार्यों के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य भी करता है । लोगों की स्वास्थ्य शिक्षा के लिये उन का राष्ट्रीय रेडियो और टेलिविजन बहुत समय देता है । देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिये पर्याप्त औषधें, उपकरण, भौतिक सुविधायें और कर्मचारी उपलब्ध हैं । पोली क्लीनिकों में चिकित्सा पाने वाले रोगियों को औषधें स्वयं खरीदनी पड़ती हैं, हालांकि परामर्श उन्हें मुफ्त मिलता है । औषधियों की कीमत बहुत उचित है । औषधों के निर्माण के लिये जड़ी बूटियों की उपयोगिता को दिया जाने वाला महत्व एक दिलचस्प बात है ।

उन की आपात चिकित्सा सेवा में किसी भी कारण से हुई क्लीनिकल मृत्यु चाहे वह कारोनरी थ्राम्बोसिस, शिर की चोट, बिजली लगने, डूबने आदि किसी भी कारण से हो के केसों में सहायता करने की व्यवस्था है । सचल दल उन की देख-भाल

करते हैं। क्लीनिकल मृत्यओं के मामले में यदि सात मिनट के अन्दर रिपोर्ट मिल जाती है तो यह दल आधुनिक तकनीकों द्वारा रोगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है और कोई भी मृत्यु तब तक अन्तिम नहीं समझी जाती जब तक कि पुनर्जीवित करने के प्रयास असफल नहीं हो जाते।

आयुर्वेदिक रजिस्टर्ड चिकित्सक

२०२९. **श्री ओंकार लाल बरवा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है कि आयुर्वेदिक रजिस्टर्ड चिकित्सकों को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर घोषित कर सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली किन किन राज्यों ने अपना ली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं, किन्तु औषध नियमों के नियम २(ईई) के अधीन राज्य सरकारों को आम आदेश द्वारा कतिपय ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम के अनुसार योग्यतायें न हों, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर घोषित करने का अधिकार है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार आयुर्वेदिक और यूनानी प्रैक्टिशनरों के कतिपय वर्गों के सम्बन्ध में ऐसी घोषणायें राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में की गई हैं।

Medical Colleges in Andhra Pradesh

2030. Shri E. Madhusudan Rao: Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) the total grants sanctioned to the Medical Colleges in Andhra Pradesh during 1963-64; and

(b) the total grants allocated for these colleges during 1964-65?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). The establishment and expansion of medical colleges has been included as a Centrally Aided Scheme in the Third Five Year Plan. In accordance with the procedure for payment of Central assistance to State Governments, grants are sanctioned to State Governments for groups of Centrally Aided Schemes in lumpsum and not for individual schemes. During 1963-64 a lumpsum grant of Rs. 49.82 lakhs was sanctioned to the Government of Andhra Pradesh for all Centrally Aided Schemes including the scheme regarding medical colleges.

In addition, a sum of Rs. 4,90,000/- was also sanctioned to the State Government during 1963-64 for the expansion of medical colleges under the Emergency Scheme which has been treated as a Centrally Sponsored Scheme.

The allocation of grants to State Governments for Centrally-aided schemes and for the Emergency expansion of medical colleges, during 1964-65, will be given on the basis of the additional students admitted.

लक्ष्मी बैंक

२०३१. **श्री कछवाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी बैंक के खातेदारों से कितना रुपया इकट्ठा हुआ और कितना उनको दिया गया; और

(ख) परिसमापन कार्यवाही के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) सरकारी परिसमापक (लिक्विडेटर) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ३१ दिसम्बर, १९६३ तक कुल १४७.६३ लाख रुपया वसूल हुआ। रक्षित लेनदारों (सिक्यार्ड